



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54234

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 9767 वर्ष 2026

विनीता राजपूत और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुभाष चंद्र द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री फूल चंद्र की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने हेतु परमादेश याचिका जारी करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं और उन्हें प्रतिवादी संख्या ... से जान का खतरा है।

4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने विरोध किया और यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 पहले से ही विवाहित थी और याचिकाकर्ताओं का कृत्य अवैध है क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने सक्षम न्यायालय से तलाक की डिग्री प्राप्त नहीं की है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि वर्तमान विवाद इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 18743/2020 (आशा देवी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), दिनांक 01.12.2020, रिट याचिका संख्या 7230/2024 (भगवती पथवार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य), दिनांक 14.3.2024 और इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 36027/2025 (श्रीमती सोनम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य), दिनांक 07.11.2025 को दिए गए निर्णयों से स्पष्ट रूप से संबंधित है। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ सुनी हैं।

6. विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप में, दो सहमति देने वाले वयस्क मनुष्य होने चाहिए। गोत्र, जाति और धर्म की अवधारणा बहुत पुरानी है। किसी को भी दो वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि दो वयस्कों के माता-पिता भी उनके रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन, स्वतंत्रता का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पूर्ण या असीमित अधिकार नहीं हैं, यह कुछ प्रतिबंधों द्वारा सीमित है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां दूसरे व्यक्ति का वैधानिक अधिकार शुरू होता है। पति या पत्नी को अपने साथी के साथ रहने का वैधानिक अधिकार है और उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और दूसरे पति या पत्नी के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए ऐसी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है, इसलिए, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का अतिक्रमण या उस पर हावी नहीं हो सकती है। यदि याचिकाकर्ता पहले से विवाहित हैं और उनके पति/पत्नी जीवित हैं, तो उन्हें अपने पूर्व पति/पत्नी से तलाक लिए बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की कानूनी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्हें पहले सक्षम न्यायालय से तलाक की डिग्री प्राप्त करनी होगी, विवाह करने या अपने कानूनी विवाह से इतर लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने से पहले।

7. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह दिशानिर्देश देता है कि दंपति को विवाह के लिए कानूनी आयु का होना चाहिए और कानूनी विवाह में प्रवेश करने के योग्य होना चाहिए, जिसमें अविवाहित होना भी शामिल है, और उन्हें काफी समय से पति-पत्नी के समान होना चाहिए। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं या उन्होंने पहले विवाह से तलाक लेने के बाद विवाह संपन्न किया है। न तो संयुक्त खाते, वित्तीय सुरक्षा, संयुक्त संपत्ति या संयुक्त व्यय का कोई प्रमाण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और न ही कोई दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो यह प्रमाणित करता हो कि याचिकाकर्ता पति-पत्नी के समान हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. निम्नलिखित संबंधों को लिव-इन रिलेशनशिप या विवाह की प्रकृति वाले संबंध के रूप में मान्यता या स्वीकृति नहीं दी गई है। यह सूची संपूर्ण नहीं है, बल्कि केवल उदाहरण के तौर पर दी गई है:-

"(क) रखैल विवाह के स्वरूप का संबंध नहीं रख सकती।"

(ख) बहुविवाह, यानी एक ही समय में एक से अधिक पत्नियां या पति रखने का संबंध या प्रथा, या द्विविवाह के माध्यम से बना संबंध, जिसमें पहले से विवाहित रहते हुए किसी अन्य से विवाह करना शामिल है, और/या व्यभिचारी संबंध बनाए रखना, जिसमें किसी विवाहित व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाना शामिल है जो उसका पति या पत्नी नहीं है, विवाह की प्रकृति का संबंध नहीं कहा जा सकता है। बहुविवाह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के तहत एक आपराधिक अपराध भी है।

(ग) तलाक की डिक्री पारित होने तक विवाह बना रहता है। प्रथम विवाह के अस्तित्व में रहते हुए कोई अन्य विवाह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 के तहत अपराध माना जाएगा। और वह व्यक्ति, भले ही उसने किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण कर लिया हो, द्विविवाह के अपराध के लिए मुकदमा चलाने योग्य होगा।

(घ) यदि दोनों व्यक्ति किसी अन्य कारण से कानूनी रूप से विवाह करने के योग्य नहीं हैं, जिसमें अविवाहित होना भी शामिल है।"

9. यह स्थापित कानून है कि परमादेश रिट तभी जारी की जा सकती है जब याचिकाकर्ता को उस पक्ष द्वारा किसी कानूनी कर्तव्य के पालन का कानूनी अधिकार हो जिसके विरुद्ध परमादेश मांगा अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है, और ऐसा अधिकार याचिका की तिथि पर विद्यमान होना चाहिए। परमादेश रिट जारी करने के सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ताओं को वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर संरक्षण का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि मांगी गई संरक्षण धारा 494/495 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के विरुद्ध संरक्षण के समान हो सकती है। यह स्थापित कानून है कि परमादेश रिट कानून के विपरीत या किसी वैधानिक प्रावधान, जिसमें दंडात्मक प्रावधान भी शामिल है, को विफल करने के लिए जारी नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं के पास परमादेश मांगने का कोई कानूनी रूप से संरक्षित और न्यायिक रूप से लागू करने योग्य विद्यमान अधिकार नहीं है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की परस्पर विरोधी दलीलों और इस न्यायालय के उपर्युक्त न्यायिक प्राधिकारियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय उन याचिकाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए परमादेश के रूप में कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं है, जो उपरोक्त उल्लिखित सक्षम न्यायालय से तलाक की डिग्री प्राप्त किए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। ऐसी स्थिति में, लिव-इन रिलेशनशिप में होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और साथ ही आशा देवी (उपरोक्त), भगवती पथवार (उपरोक्त) और श्रीमती सोनम (उपरोक्त) के निर्णयों के आलोक में भी।

11. हालांकि, यदि याचिकाकर्ताओं को परेशान किया जाता है या उन पर किसी प्रकार की हिंसा की जाती है, तो वे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को विस्तृत आवेदन/प्रतिनिधि प्रस्तुत करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदन/प्रतिनिधि प्राप्त होने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर, संबंधित प्राधिकारी इसकी सामग्री का सत्यापन करेगा और याचिकाकर्ताओं के जीवन और सुरक्षा के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

12. तदनुसार, उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 मार्च, 2026

नितेंद्र

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।